


15/4/25

पत्रावली पेश हुई। वादी-उत्तरवादी (आपि-उप.) वादी अधिवक्ता द्वारा उत्तरवादी सं. 1 लगा-4 के अधिवक्ता को वादपत्र एवं दस्तावेजात की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्दिष्ट किया गया। उत्तरवादी सं. 5 के सम्मान पत्र नहीं। पत्रावली वास्तव में उत्तरवादी सं. 1 लगा-4 के जवाब एवं उत्तरवादी सं. 5 की तलबी हेतु दिनांक 21/4/25 को पेश हो।


15/4/25

21/5/25


पत्रावली पेश हुई। वादी आपि-उत्तरवादी (आपि-उप.) उत्तरवादी सं. 1 लगा-4 के अधिवक्ता की वादपत्र व दस्तावेजात की प्रति उपलब्ध कराई गई, उत्तरवादी सं. 1 लगा-4 का जवाब एवं उत्तरवादी सं. 5 की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 21/5/25 को पेश हो।



21/5/25

रिजिस्ट्रार
न्याय भवन
21/5/25
(सि. 1/2)

20/5/25

पत्रावली पेश हुयी समय पर पीठारीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 2/6/25 को पेश हो।


आदेश से पेश

21/6/25

21/6/25

पत्रावली पेश हुई। वादी-उत्तरवादी (आपि-उप.) वादी अधिवक्ता तथा आंगरीका पर "New Print" अंकित किया गया। वादी द्वारा उद्धृत वाद में कोई कार्रवाई नहीं चालने में वादी द्वारा उद्धृत वाद कंपनी 6/1/2022 अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 89, 188 शकलान का ब्रतकारी भाषितपत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली में निर्दिष्ट सब दस्तावेज सुनाया जाता है। पत्रावली जिसल सुमार होकर साक्षि ल दफ्तर हो तथा नजर में कम हो।


21/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा